

भीमादेवी बनाम सुनील कोठे

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दावा ल्यामी निषेधाज्ञा मु०न० २१/२०२०

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

तारीख हुक्म

१७-५-२३

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिकेन उपस्थित/
पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/
मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक २३-६-२३ को पेश हो।



27-6-23

पत्रावली आज पेश हुयी | वडील वारी व
पक्षडारान अनुपाल्येत | प्रदर्शन में डोरि समाप्ति लव
रुड-२ डर वार-२ भावज किलवामी जमी | वडील वारी
व पक्षडारान में से डोरि हाजिर गदलत नही भासे हैं।
अतः वडील वारीगण व पक्षडारान डी अनुपाल्येती में दावा
बाबत वडास्मा एवं ल्यामी निषेधाज्ञा (अन्वर्तित धारा ५३,
१९८ राज० डा२त० भा०) डी अदम चैरवी व अदम हाजरी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली कुँसल शुमार हैक
बाद लडमील दाखिल दफ्तर है।

(दिनापसीह)

दिलीप सिंह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर, सीकर

